पत्र सं०–6 एस०एस०(6)35 / 2022–4960/

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 11 / 09/ 2026.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme- LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के प्रतिबद्ध देनदारियों (Committed liabilities) के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रुपये 565.92 लाख (पाँच करोड़ पैंसठ लाख बानवे हजार) मात्र (केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–962, दिनांक–23.02.2026 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme- LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के प्रतिबद्ध देनदारियों (Committed liabilities) के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रुपये 565.92 लाख (पाँच करोड़ पैंसठ लाख बानवे हजार) मात्र (केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी–"क", "ख" एवं "ग" के रूप में संलग्न।

2. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। Lumpy Skin Disease (LSD) पशुओं में होने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग में पशुओं को ज्वर हो जाता है एवं पूरे शरीर में त्वचा पर बड़ी–बड़ी गाँठें बन जाती हैं। इसके दर्द से पशु बेहाल रहते हैं। दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन घट जाता है। श्रमिक पशुओं की कार्य क्षमता घट जाती है। LSD के प्रकोप से पशुपालकों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए केन्द्र प्रायोजित योजना–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme - LH & DCP) के तहत Assistance to States for

Control of Animal Diseases (ASCAD) योजनान्तर्गत Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। LSD टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग का नियंत्रण करना है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय राज्यादेश पत्र सं०–962, दिनांक–23.02.2026 के द्वारा कुल रूपये 825.00 लाख (रुपये आठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र की लागत व्यय पर केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme - LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम को राज्य में कार्यान्वित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध 100.00 लाख पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाना है।

5. परियोजना निदेशक, बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी०एल०डी०ए०), पटना के पत्रांक–1591, दिनांक–30.07.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत LH & DCP योजना के तहत LSD के वैक्सीन मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय राज्यादेश संख्या–962, दिनांक–17.03.2026 के आलोक में 5,58,49,000/– (पाँच करोड़ अन्ठावन लाख उनचास हजार) रुपये प्राप्त आवंटन से Hester Bioscience Ltd. को 1,34,60,475/– (एक करोड़ चौंतीस लाख साठ हजार चार सौ पचहत्तर) रूपये मात्र एवं Indian Immunological को 1,24,47,750/– (एक करोड़ चौबीस लाख सैंतालीस हजार सात सौ पचास) रुपये मात्र का भुगतान किया गया। शेष राशि 2,99,40,775/– (दो करोड़ निन्यानवे लाख चालीस हजार सात सौ पचहत्तर) का भुगतान कतिपय कारणों से नहीं हो सका। परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या–962, दिनांक–17.03.2026 के आलोक में अधियाचित राशि की विवरणी उपलब्ध करायी गयी है।

6. परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के उक्त पत्र एवं संलग्न विवरणी के आलोक में LSD टीकाकरण हेतु प्रतिबद्ध देनदारियों (Committed liabilities) के भुगतान हेतु आवश्यक राशि रुपये 565.92 लाख (पाँच करोड़ पैंसठ लाख बानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रस्तावित है। प्रतिबद्ध देनदारियों (Committed liabilities) के भुगतान के क्रम में विभागीय राज्यादेश पत्र सं०–962, दिनांक–23.02.2026 की सभी शर्तों/बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उल्लेखनीय है कि पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–1505 (नि०), दिनांक–16.04.2026 के माध्यम से समर्पित किये गये ASCAD के Annual Action Plan (AAP) के आलोक में भारत सरकार के पत्र संख्या–K-11053(5313)/1/2017-LH, दिनांक–17.06.2026 के द्वारा बिहार राज्य के लिए ASCAD (LHDCP) के लिए रुपये 2726.22 लाख मात्र की

प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में प्रतिबद्ध देनदारियों (Committed Liability) के लिए रुपये 565.92 लाख रुपये की राशि भी सम्मिलित है।

8. भारत सरकार के पत्र संख्या–K-11053(5313)/1/2017-LH (E-3042), दिनांक–17.06.2026 के द्वारा बिहार राज्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रथम किस्त के रूप में कुल रुपये 230.00 लाख (दो करोड़ तीस लाख) मात्र का Mother Sanction स्वीकृत किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	घटक	केन्द्रांश–राज्यांश का अनुपात	राशि (रुपये में)
1.	General Component	60:40	1,88,39,500/-
		100%	2,07,500/-
		Total	1,90,47,000/-
2.	Special Component Plan	60:40	36,19,000/-
		100%	40,000/-
		Total	36,59,000/-
3.	Tribal Areas Sub-Plan Component	60:40	2,81,500/-
		100%	12,500/-
		Total	2,94,000/-
		Grand Total	**2,30,00,000/-**

9. योजना अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020, दिनांक–13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/ 2020, दिनांक–07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। वित्त विभाग, बिहार के पत्र संख्या–e.gov/PFMS-05/2023-398, दिनांक–13.01.2025 के द्वारा RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time" पर जारी करने हेतु SNA-SPARSH Model (PFMS) के तहत Drawing Account खोले जाने की सूचना दी गयी है। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बी०एल०डी०ए०, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है –

Sl. No.	Account Number	Name of account	Short name of account
1.	01585501130	BR232-BR LIVESTOCK HEALTH AND DISEASE CONTROL PROGRAMME CSS-ASCAD VACCINATION (4123)	GOBHSPARSHLHD CPASCADVACC

10. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–410/वि०, दिनांक–12.06.2025 के द्वारा SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें अंकित है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA SPARSH Module के तहत अधिसूचित 28 स्कीमों को Component wise (General] SCSP and TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/BiII) बनाने की व्यवस्था की गयी है। वित्त विभागीय उक्त पत्र के आलोक में प्रस्तावित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए विभिन्न घटकों एवं विषय शीर्षों के तहत राज्यांश की राशि को संगत केन्द्रांश के समरूप घटक/विषय शीर्ष में जोड़ते हुए योजना की स्वीकृति एवं तदनुसार योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जाना है।

11. वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme - LH & DCP)" के तहत केन्द्रांश एवं राज्यांश के विभिन्न विपत्र कोड अन्तर्गत 3106 सहायक अनुदान–गैर वेतन विषय शीर्ष में पर्याप्त बजट उपबंध उपलब्ध है। केन्द्रांश (राज्यांश की समतुल्य राशि सहित) की घटकवार एवं विषयशीर्ष–वार व्यय विवरणी–"क", "ख" एवं "ग" संलग्न है।

12. वित्तीय वर्ष 2026–27 इस योजना के तहत प्रस्तावित व्यय (केन्द्रांश + राज्यांश) का विकलन निम्नांकित बजट शीर्षों के तहत 3106 –सहायक अनुदान गैर–वेतन विषय शीर्ष में उपबंधित राशि किया जायेगा :–

    (i) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0201 –राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02–2403001010201, पी०एफ०एम०एस० कोड–4123.
    (ii) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0206 –राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02–2403007890206, पी०एफ०एम०एस० कोड–4123.
    (iii) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0228 –राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02–2403007960228, पी०एफ०एम०एस० कोड–4123.

13. केन्द्रांश/राज्यांश की राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा–निर्देशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

15. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के व्यय के उपरान्त निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार द्वारा संगत प्रावधानों के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

16. निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/ 2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

17. यह एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं योजना लागत मूल्य के अनुसार प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)35/2022 के पृष्ठ–146/टि० पर एवं दिनांक–09.09.2026.

18. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)35/2022 के पृष्ठ–146/टि० एवं डायरी संख्या–603, दिनांक–31.08.2026.

19. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

11/09

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 4960 /पटना–15, दिनांक– 11 / 09 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/09

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 4960 /पटना–15, दिनांक– 11 / 09/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 4960 /पटना–15, दिनांक– 11 / 09 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 4960 /पटना–15, दिनांक– 11 / 09 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 4960 /पटना–15, दिनांक– 11 / 09 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ संबंधित जिला पदाधिकारी/अवर सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 4960 /पटना–15, दिनांक– 11 / 09/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त 05 प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2022 – 4960 /पटना–15, दिनांक– 11 / 09 /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

7 Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी–"क"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme- LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के प्रतिबद्ध देनदारियों (Committed liabilities) के भुगतान की योजना पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणी :–

(सामान्य घटक, विपत्र कोड 02–2403001010201, केन्द्रांश–60 प्रतिशत, राज्यांश–40 प्रतिशत)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0201.3106 –सहायक अनुदान गैर–वेतन	423.31	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना / निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना / विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना / सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सभी कोषागार, बिहार।
	योग :–	**423.31**		

(रुपये चार करोड़ तेईस लाख एकतीस हजार) मात्र।

4960
11/09/26

11/09

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"ख"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme- LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के प्रतिबद्ध देनदारियों (Committed liabilities) के भुगतान की योजना पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणीः–

(अनु० जातियों के लिए विशेष घटक– विपत्र कोड 02–2403007890206, केन्द्रांश–60 प्रतिशत, राज्यांश–40 प्रतिशत)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0206.3106 –सहायक अनुदान गैर–वेतन	93.94	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सभी कोषागार, बिहार।
	योग :–	**93.94**		

(रुपये तिरानवे लाख चौरानवे हजार) मात्र।

4960
11/09/26

11/09

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी–"ग"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme- LH & DCP)" अन्तर्गत "Assistance to State for Control of Animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के प्रतिबद्ध देनदारियों (Committed liabilities) के भुगतान की योजना पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणीः–

(जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक– विपत्र कोड 02–2403007960228, केन्द्रांश–60 प्रतिशत, राज्यांश–40 प्रतिशत)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि (रुपये में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0228.3106 –सहायक अनुदान गैर–वेतन	48.67	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सभी कोषागार, बिहार।
	योग :–	**48.67**		

(रुपये अड़तालिस लाख सड़सठ हजार) मात्र।

व्यय का सारांश :–

क्र०	व्यय विवरणी	राशि (लाख रुपये में)
1	व्यय विवरणी–"क"	423.31
2	व्यय विवरणी–"ख"	93.94
3	व्यय विवरणी–"ग"	48.67
	कुल योग :–	**565.92**

(रुपये पाँच करोड़ पैंसठ लाख बावने हजार मात्र)

4960
11/09/26

14/09

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar